



कार्यालय

फोन/फैक्स नं०- 01375-224233
E-Mail dfobarkot@gmail.com
वन मित्र कॉल सेंटर- 9208008000

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट,
पत्राक- 3112 / 12-1 दिनांक, बड़कोट, जून 8 - 2016।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,
बड़कोट।

विषय:-

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव अन्तर्गत बड़कोट तिलाडी हल्का मोटर मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करना एवं डामरीकरण कार्य हेतु (लम्बाई 2.00 कि०मी०) 0.553 है० वन भूमि वन संरक्षक अधिनियम-1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी कार्यों हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भ:-

वन संरक्षक, यमुना वृत्त उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक-2956/12-1(1), दिनांक 03.05.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव पर नोडल अधिकारी स्तर से लगाई गई आपत्ति जो वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र की छाया प्रति इस आशय से संलग्न कर आपको प्रेषित किया जा रहा है कि नोडल अधिकारी द्वारा बिन्दु संख्या-1 से 8 तक लगाई गई आपत्तियों का निराकरण करते हुए बिन्दुवार आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करें। उक्त विषयक प्रस्ताव आनलाईन से आपको वापस लौटाया जाता है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डी०के० सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 2956 / 12-1 (1)

दिनांक, देहरादून, मई, 03, 2016

सेवा में

प्रभुगीय वनाधिकारी,

अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

विषय:

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत बड़कोट तिलाड़ी हल्का मोटर मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करना एवं डामरीकरण कार्य हेतु (लम्बाई 2.00किमी) 0.553 है० वन भूमि का वन संरक्षण (अधिनियम) 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग, बड़कोट को प्रत्यावर्तन की स्वीकृति विषयक।

संदर्भ:

प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/ 10386 / 2015 अपर प्रमुख वन संरक्षक एव नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून के स्तर से जारी ई०डी०एस० क्वेरी दिनांक 11-5-2016

महोदय,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून के स्तर से जारी ई०डी०एस० क्वेरी दिनांक 11-5-2016 के द्वारा प्रस्ताव में निम्न आपत्ति निम्न प्रकार है।

आपत्ति	
1. Short narrative of the proposal for which the forest land is required does not give full description of the proposal. It may be explained as to what constitutes 'upgradation'	
2. Total period for which the forest land is proposed to be diverted is given as nil. This may be reviewed	
3. The details of person making application and that of the one authorized to file application do not match.	
4. The proposal mentions that the proposal is not likely to generate any employment. This seems unlikely and may be reviewed.	
5. The note containing justification for locating the Project in forest land does not specify the justification of this particular proposal	
6. The area proposed for diversion, when seen on Google Earth, seems to have an existing road. It may be explained if diversion of this land under Forest (Conservation) Act was sought before construction of the existing road.	
7. The FRA certificate of DM states the date of meeting of DLC as 09-12-2014 while the Gram Sabha date has been mentioned as 19-01-2015. The meeting of DLC could not have preceded the Gram Sabha meeting. This may be reviewed.	
8. GPS location of all turns on the proposed road may also be given on the software generated GIS maps in Part-I. Soft copy of shapefiles may also be provided.	

उपरोक्तानुसार आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण करते हुए हार्ड प्रति साथ-साथ उपलब्ध करायें।

भवदीय,

(आर०के०मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

संख्या 2956 (1) / 12-1 (1) उक्त दिनांकित ।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

On line dated 7.6.2016

(आर०के०मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।